## प्रपत्र बी
## सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)

**मैसर्स पैंटेल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड** के हिस्सेदारों के ध्यानार्थ

| क्र. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1 | निगमित कर्जदार का नाम | पैंटेल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | निगमित कर्जदार के गठन की तिथि | 23/08/2010 |
| 3 | प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है | आरओसी-दिल्ली |
| 4 | निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर/ लिमिटेड लॉयब्लिटी आईडेंटिफिकेशन नम्बर | U72300DL2010PTC207463 |
| 5 | निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता | 602/96, छठवीं मंजिल, सिद्धार्थ बिल्डिंग, नेहरु प्लेस, सेंट्रल बैंक के निकट, नई दिल्ली-110019 |
| 6 | दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद होने की तिथि | 17 दिसम्बर, 2021 |
| 7 | निगमित कर्जदार के परिसमापन आरम्भ होने की तारीख | 17.12.2021 (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली-पीठ IV द्वारा सीपी. नं. आईबी-923/(एनडी)/2020 में आई.ए. 5295/2021 के तहत आदेश दिनांक 17/12/2021 को घोषित किया गया था तथा परिसमापक द्वारा एनसीएलटी आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 29/12/2021 का प्राप्त किया गया था)। |
| 8 | परिसमापक के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या | नामः गगन गुलाटी,<br>पंजी. सं.:IBBI/IPA-002/IP N00893/2019-2020/12832 |
| 9 | बोर्ड के साथ पंजीकृत परिसमापक का पता एवं ईमेल | पंजी. पताः ए-179, पहली मंजिल, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-110015, ईमेल आईडीः advocategulati@gmail.com |
| 10 | परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल | पंजी. पताः ए-179, पहली मंजिल, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-110015, ईमेल आईडीः pantel.liquidation@gmail.com |
| 11 | दावा जमा करने अंतिम तिथि | 28 जनवरी, 2022 |

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ IV ने दिनांक 17.12.2021 को मैसर्स पैंटेल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन आरम्भ करने का आदेश जारी किया है। **हालांकि, माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली-पीठ IV द्वारा सीपी. नं. आईबी-923/(एनडी)/2020 में आई.ए. 5295/2021 के तहत आदेश दिनांक 17/12/2021 को घोषित किया गया था तथा परिसमापक द्वारा एनसीएलटी आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 29/12/2021 का प्राप्त किया गया था।**

मैसर्स पैंटेल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदारों को एतद्द्वारा परिसमापक के पास मद 10 में उल्लिखित पते पर **दिनांक 28.01.2022** को अथवा उससे पहले अपने दावों के साक्ष्य जमा करने को कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाताओं को अपने दावों के साक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदातागण अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। दावों के गलत अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

**गगन गुलाटी**
(गगन गुलाटी)
मैसर्स पैंटेल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. सं.:IBBI/IPA-002/IP N00893/2019-2020/12832

**दिनांकः** 31.12.2021
**स्थानः** नई दिल्ली

---

### परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
### कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

**जब कि,**

**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **विनय, विनय ; 3058, गली कल्याण सिंग, राम बज़ार मोरी गेट, दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110006, नेहा सिक्का, 3058, गली कल्याण सिंग, राम बज़ार मोरी गेट, दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110006** को **18.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00383172** की राशि **रू. 14,58,720.2 (रूपये चौदह लाख अट्ठावन हजार सात सौ बीस और बीस पैसे मात्र)** और **28.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **30.12.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 14,58,720.2 (रूपये चौदह लाख अट्ठावन हजार सात सौ बीस और बीस पैसे मात्र) 28.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**अपार्टमेन्ट नं. सन 2-2205, टॉवर-सन-2, बाईसवीं मंजिल, प्लॉट नं. जी-एच-01 बी (1), सेक्टर-ईटीए-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध्द नगर, उत्तर प्रदेश -201308.**

**सही/-**
**दिनांक : 30.12.2021** **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थान : नोएडा** **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

---

### परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
### कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

**जब कि,**

**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **संजीव, संजीव ; मेसर्स श्री साई नाथ इन्टरप्राईजेस, जी-1, प्लॉट नं. 27, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005, संगिता आनंद ; मेसर्स श्री साई नाथ इन्टरप्राईजेस, जी-1, प्लॉट नं. 27, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005 , संगिता आनंद ; फ्लैट नं. जी-3, तल मंजिल, प्लॉट नं. 398, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005, प्रदिप तिवारी ; 1/5747 एसटी नं. 15, बलबीर नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, दिल्ली -110032** को **14.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDMT00330855** की राशि **रू. 19,31,450.82 (रूपये उन्नीस लाख इकत्तीस हजार चार सौ पचास और बयासी मात्र)** और **26.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **29.12.2021.** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 19,31,450.82 (रूपये उन्नीस लाख इकत्तीस हजार चार सौ पचास और बयासी मात्र) 26.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**फ्लैट नं. जी-2, तल मंजिल, आरएचएस के पिछे, प्लॉट नं. 398, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201101.**

**सही/-**
**दिनांक : 29.12.2021** **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थान : गाज़ियाबाद** **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

---

### परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
### कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

**जब कि,**

**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अमरदीप चौधरी, अमरदीप चौधरी ; 2ए/9, किशन गृह, वसंत कुंज, एस.ओ. दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110070, अमरदीप चौधरी ; बी-414, जे.वी.टी.एस. गार्डन के पास, छत्तरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110074, आकाश चौधरी ; 2ए/9, किशनगृह, वसंत कुंज, एस.ओ. दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110070, आकाश चौधरी ; बी-414, जे.वी.टी.एस. गार्डन के पास, छत्तरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110074** को **17.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00363319** की राशि **रू. 12,32,913.38 (रूपये बारह लाख बत्तीस हजार नौ सौ तेरह और अड़तीस पैसे मात्र)** और **26.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **30.12.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 12,32,913.38 (रूपये बारह लाख बत्तीस हजार नौ सौ तेरह और अड़तीस पैसे मात्र) 26.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**फ्लैट नं. 2502, पच्चीसवीं मंजिल, टॉवर-सन-2, मिगसन व्यान, प्लॉट नं. जीएच-1 बी-1, सेक्टर-ईटीए-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध्द नगर, उत्तर प्रदेश -201303.**

**सही/-**
**दिनांक : 30.12.2021** **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थान : नोएडा** **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

---

## ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

प्रपत्र नं. 5

**600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-226007**
**(न्यायाधिकार क्षेत्र - उत्तर प्रदेश का हिस्सा)**
**प्रकाशन द्वारा जवाब देने एवं उपस्थित होने के लिए सम्मन**

**ओ.ए. सं. 47/2021** **दिनांकः 24/12/2021**

(बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(3) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) की धारा 12 एवं 13 के अधीन प्रतिवादी को सम्मन)

**मूल आवेदन सं. 246 ऑफ 2021**

**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** ......... **आवेदक**

**बनाम**

**श्रीदेव कंस्ट्रक्टिन्स एवं अन्य** ......... **प्रतिवादीगण**

प्रति **1: श्रीदेव कंस्ट्रक्टिन्स,** वीपीओ लोयान मलकपुर बागपत, बागपत, उत्तर प्रदेश-250611 **2. महावीर सिंह,** पट्टी पिचाली लोयान बागपत, बागपत, उत्तर प्रदेश-250611 **3. संजीव कुमार,** 278, पट्टी पिचाली लोयान बागपत, मलकपुर बागपत, उत्तर प्रदेश-250611 .... **प्रतिवादीगण**

ऊपर उल्लिखित आवेदन में, इस सम्मन के प्रकाशन के उपरांत आवेदक या उनके सलाहकार/यथावत रूप से अधिकृत एजेंट को इसकी प्रतिलिपि सेवित करने के उपरांत आपको व्यक्तिगत अथवा यथावत रूप से अधिकृत एजेंट अथवा वैध अधिवक्ताओं द्वारा दस्तावेज तथा हलफनामा (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक प्रारूप में उत्तर दायर करना होगा तथा तदुपरांत इस न्यायाधिकरण में दिनांक **07.04.2022 को सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होना होगा, अन्यथा आपकी गैर हाजिरी में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

**पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ**

---

## सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति नरेश कुमारी आहुजा पत्नि श्री महेश कुमार अहुजा निवासी न०153, न्यू हरिद्वार कालोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार वर्तमान में सम्पत्ति निर्मित आवासीय मकान जो कि प्लाट न0 153 पर बना है जिसका कुल क्षेत्रफल यानि 2000 वर्गफुट यानि **185.87** वर्गमीटर है, जिसमें चार कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, किचन, जीना व ममटी बने है। स्थित (वार्ड न0 19) नया हरिद्वार कालोनी ग्राम अहमदपुर कडच्छ (अन्दर सीमा नगर निगम हरिद्वार) तहसील व जिला हरिद्वार है। है, जो श्री महेश कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश निवासी श्रवणनाथ नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार हॉल निवासी मकान न0 153, न्यू हरिद्वार कालोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार से उपहार पत्र दिनाक **10.02.2021** दस्तावेज संख्या **1337** कार्यालय उप–निबन्धक हरिद्वार से प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सम्पत्ति की स्वामी मालिक काबिज व अधिकारी है। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक **29.10.2021** को उपरोक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित असल पंजीकृत विक्रय पत्र दिंनाक **24.04.1990** जिसका द्वस्तावेज संख्या **2176** दिंनाक **24.09.1990** पर उपनिबन्धक हरिद्वार मे दर्ज है जो श्री महेश कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश ने श्रीमति नीलम कुमारी पत्नि श्री बिशम्बर दयाल निवासी राजघाट हरिद्वार बहैसियत मुख्तारेआम श्रीमति राजकुमारी पत्नि श्री अर्जुन सिंह से खरीद किया था तहसील से घर से आते समय कही पर गिर जाने से खो गया है। जिसकी सूचना भी पुलिस थाना कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार पर दिनांक **29.10.2020** को दर्ज कराई गई है।

श्रीमति नरेश कुमारी आहुजा पत्नि श्री महेश कुमार आहुजा निवासी मकान न0 153, न्यू हरिद्वार कालोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार के द्वारा यह सम्पत्ति क्रय करने के लिए **ICICI HFC B.O. Meerut** के पक्ष मे बंधक रखना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध मे यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था कोई दावा या आपत्ति किसी प्रकार की हो तो वह लिखित रूप मे सम्बन्धित प्रमाण सहित इस प्रकाशन से अवधि 7 दिवस के अन्दर मुझ अधिवक्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात इस सम्बन्ध मे कोई आपत्ति किसी प्रकार की मान्य नहीं होगी।

**Gyaneshwar Thakral Advocate**
District Court Haridwar
Cell- 09219156533/09319242639
Mail- advocate.thakral1st@gmail.com.

---

HDFC

## शुद्धि–पत्र

### हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.

**तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून–248001**
CIN: L70100MH1977PLC019916 Website: www.hdfc.com

यह सूचना एचडीएफसी लि0 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा बिक्री सूचना दिनांकित 30.12.2021 को बिजनेस स्टैन्डर्ड समाचार पत्र के प्रकाशन के सम्बन्ध में है। कृपया कर प्रकाशन पत्र के पृष्ठ संख्या 11 में उल्लिखित शब्द आरक्षित कीमत ''4,10,000/– (रू0 चार लाख दस हजार मात्र) को'' 4,90,000/– (रू0 चार लाख नब्बे हजार मात्र) पढ़ा जाय एवं स्थान हरिद्वार को देहरादून पढ़ा जाये।

**दिनांक : 31.12.2021** **कृते एचडीएफसी लि0**
**स्थान : देहरादून** **प्राधिकृत अधिकारी**

---

## सार्वजनिक सूचनाः आईडी कार्ड खो जाना

**यह आम जनता के ध्यान में लाना है कि श्री रितेश कुमार का एक आईडी कार्ड आईसीआईसीआई बैंक लि0 द्वारा जारी किया गया है। आईडी कार्ड नं. 2112013, 26/12/21 को खो गया है। कोई भी, जो उक्त आईडी कार्ड पाता है, से अनुरोध है कि उक्त आईडी कार्ड प्रबंधक ऋण सेवा और प्रबंधन समूह, आईसीआईसीआई बैंक लि0, एसडी टॉवर से0 8 रोहिणी नई दिल्ली, को वापस कर दें।इसलिए, आईसीआईसीआई बैंक लि0 के सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि उक्त आईडी कार्ड नं 2112013 रखने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कोई भुगतान न करें। कृपया आगे ध्यान दें कि उक्त आईडी कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी लागत, जोखिम और जोखिम पर ऐसा करेगा और आईसीआईसीआई बैंक किसी भी भुगतान के लिए बाध्य और/या जिम्मेदार नहीं होगा।**

**For आईसीआईसीआई बैंक लि0**
**दिनांकः 30 दिसंबर 2021**
**स्थानः Noida**

---

## सूचना

**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा श्री रजत दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी पर्वतीय मोहल्ला, बरेली रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को एक ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसके एवज में श्री रजत दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी ग्राम हल्द्वानी मल्ली (अन्दर नगर निगम हल्द्वानी) तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल स्थित भूमि जरिये रजिस्ट्री बैनामा संख्या 7157/2018 जो कि श्री मनोहर सिंह पुत्र स्व0 श्री भान सिंह से पंजीकृत दाननामे के जरिये प्राप्त किया था को प्रतिभूति के रुप में बन्धक रखा गया है, एवं श्री मनोहर सिंह पुत्र स्व0 श्री भान सिंह द्वारा उक्त भूमि को श्रीमती गंगादेवी चिलवाल पत्नी स्व0 श्री शिव सिंह एवं श्री नन्दन सिंह उर्फ नारायण सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह से जरिये रजिस्ट्री बैनामा संख्या 980/2001 के द्वारा क्रय किया था। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में भूस्वामी द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त पूर्ववर्ती रजिस्ट्री बैनामा जिसका बैनामा संख्या 980/2001 है जो कि श्री मनोहर सिंह पुत्र स्व0 श्री भान सिंह के नाम पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी बही सं01 के जिल्द 931 में पेज 239–268 में क्रम सं0 980 पर दिनांक 19.02.2001 को दर्ज है, स्कूटी से जाते समय, नैनीताल रोड, हल्द्वानी में कहीं खो गया है तथा काफी खोजने पर भी नहीं मिल पा रहा है। जिसकी FIR कोतवाली हल्द्वानी में दिनांक 30.12.2021 को भूस्वामी द्वारा दर्ज करायी गयी है। अत: इस सूचना द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त रजिस्ट्री बैनामा संख्या 980/2001 के सम्बन्ध में यदि किसी के पास कोई सूचना हो अथवा कोई आपत्ति हो या उक्त से सम्बन्धित भूमि पर किसी का कोई हक हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 07 दिनों के अन्दर बैंक शाखा – बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को निम्न पते पर सम्पर्क कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, 07 दिनों के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उपरोक्त बैनामें का अनधिकृत उपयोग गैर–कानूनी माना जायेगा। सूचना जाने।**

**पंजाब नेशनल बैंक, शाखा – रेलवे बाजार, हल्द्वानी जिला नैनीताल। मो 05946–250197**

---

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

**(पूर्ववर्ती आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)**
**सीआईएनः** L65110TN2014PLC097792
**पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वाँ तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031 फोनः +91 44 4564 4000 । फैक्सः +91 44 4564 4022**
**प्राधिकृत अधिकारीः सूरज कुमार/संपर्क नंबरः 9654096360, 9874702021**

**परिशिष्ट–IV-ए**
**[देखें नियम 8(6) का प्रावधान]**

### अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका **आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** अब **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया, **श्री गुड्डू गुप्ता और श्रीमती रेणु गुप्ता (कर्जदार–सह–कर्जदार(ओं) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) को देय दिनांक 25.09.2019 को राशि रु. 2090709.88/–** की वसूली के लिए **''जो है जहाँ हैं'', ''जहाँ है जैसी है'' और ''जो भी है'' आधार पर दिनांक 19.01.2022** को बिक्री की जायेगी।

### नीलामी स्थिति

| | |
|---|---|
| आरक्षित मूल्य | **₹806400/–** |
| धरोहर धनराशि जमा राशि | **₹80640/–** |
| निविदा/धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि | **18.01.2022 समय अप. 5.00 तक** |
| संपत्ति जाँच–परख की तिथि | **13.01.2022 समय पूर्वा. 11.00 से अप. 4.00 तक** |
| नीलामी तिथि | **19.01.2022 समय पूर्वा. 11.00 से अप. 1.00 तक** |
| संपत्ति विवरण | **गाँव–लोनी, परगना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित प्लॉट नं. ए–4/15, डीएलएफ अंकुर विहार हदबस्त में फ्लैट नं. जीएफ–2, एमआईजी भूतल, छत अधिकार रहित, मिडिल साइड** |

बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC पर दिया लिंक देखें।

अस्वीकरणः कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस केवल अचल संपत्ति की बिक्री के लिए जारी किया गया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल संपत्ति पर मौजूद चल परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का अधिकार नहीं है।

**प्राधिकृत अधिकारी**
**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
**(पूर्ववर्ती आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)**

**दिनांकः 28.12.2021**
**स्थानः दिल्ली**

---

## दि नैनीताल बैंक लि.

शाखा - 33, प्रथम तल, पी.के. रोड, लाहौर फर्नीचर मार्ट के ऊपर, नई दिल्ली-110001, फोन **-011-23583606/45067590**

### अचल सम्पत्ति कब्जा नोटिस

**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता दि नैनीताल बैंक लि0, 33, प्रथम तल, पी.के. रोड, लाहौर फर्नीचर मार्ट के ऊपर, नई दिल्ली-110001** शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकनसट्क्शन ऑफ फाइनेन्सियल ऐसेट्स एण्ड, इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2) के नियम 3 के अधीन 60दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणीयों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती ऋण का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अत: अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.12.2021 को निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चों की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है।

### (1) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

**1. श्रीमती सीमा ओबराय पत्नी श्री जग परवेश ओबरॉय एवं श्री जग परवेश ओबरॉय पुत्र श्री गोवर्धन लाल ओबरॉय** पता : 247, सेक्टर – 15ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (उ0प्र0) – 201301

**2. श्री सिद्धार्थ ओबरॉय पुत्र श्री जग परवेश ओबरॉय (जमानती)**, पता : 247, सेक्टर – 15ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (उ0प्र0) – 201301

**(डिमान्ड नोटिस दिनांक** 09.06.2021 **को रु. 1,51,02,425.50** (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख दो हजार चार सौ पच्चीस एवं पैसे पचास मात्र दिनांक 08.06.2021 तक) दिनांक 09.06.2021 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटाये वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है)

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति (रिहायशी सम्पत्ति) के सभी भाग व हिस्से जो कि 247, सेक्टर – 15ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)–201301 में स्थित है। सम्पत्ति उप निबन्धक ।।, नोएडा के कार्यालय में बही नं. 1, खण्ड नं. 989, पेज नं. 865/892, क्रमांक नं. 1846, एमयू नं. 1847, दिनांक 04.06.1999 को दर्ज है। सीमाऐं – पूरब में प्लॉट नं. 246, उत्तर में 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम में प्लॉट नं. 248, दक्षिण में प्लॉट नं. 228

### (2) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

**1. मैसर्स संस्कृति अपेरल प्रा0 लि0, पंजीकृत कार्यालय एवं शोरूम :** ए–31, बेसमेन्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली –110024, दूसरा पता : फैक्ट्री – सी–73, होजरी कॉम्पलेक्स, फेज–।।, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) –201301

**2. श्री जग परवेश ओबरॉय पुत्र श्री गोवर्धन लाल ओबरॉय, श्रीमती सीमा ओबराय पत्नी श्री जग परवेश ओबरॉय एवं श्री सिद्धार्थ ओबरॉय पुत्र श्री जग परवेश ओबरॉय (निदेशक - मैसर्स संस्कृति अपेरल प्रा0 लि0)** पता : 247, सेक्टर – 15ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (उ0प्र0) – 201301

**3. श्री जग परवेश ओबरॉय पुत्र श्री गोवर्धन लाल ओबरॉय, श्रीमती सीमा ओबराय पत्नी श्री जग परवेश ओबरॉय एवं श्री सिद्धार्थ ओबरॉय पुत्र श्री जग परवेश ओबरॉय (जमानती)**, पता : 247, सेक्टर – 15ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (उ0प्र0) – 201301 एवं **मैसर्स प्रूडेशियल पैकेजिंग प्रा0 लि0, पंजीकृत पता** - ए–31, बेसमेन्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024

**(डिमान्ड नोटिस दिनांक** 09.06.2021 **को रु. 3,75,39,030.11** (रुपये तीन करोड़ पिचहत्तर लाख उन्तालिस हजार तीस एवं पैसे ग्यारह मात्र दिनांक 08.06.2021 तक) दिनांक 09.06.2021 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटाये वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है)

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति (व्यवसायिक सम्पत्ति जो कि लीज होल्ड राईट्स के साथ–भूमि व भवन) के सभी भाग व हिस्से जो कि 73, ब्लॉक–सी, होजरी कॉम्पलेक्स, फेज–।।, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)–201301 में स्थित है। क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर। सम्पत्ति उप निबन्धक ।।, नोएडा के कार्यालय में बही नं. 1, खण्ड नं. 1049, पेज नं. 925/950, क्रमांक नं. 940, एमयू नं. 941, दिनांक 23.05.2001 को दर्ज है। सीमाऐं – पूरब में 24 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर में प्लॉट नं. सी–72, पश्चिम में प्लॉट नं. सी–54, दक्षिण में प्लॉट नं. सी–74

**स्थान : नई दिल्ली** **दिनांक : 31.12.2021** **प्राधिकृत अधिकारी**

---

HDFC

## कब्जे का नोटिस

### हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**शाखा का पताः तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून–248001**

जैसा कि हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन, लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) ने वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक ब्यय, लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

| क्र. सं. | उधारकर्ताओं/कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम | बकाया देयराशियां* (रू0) | मांग सूचना की तिथि | कब्जे की तिथि एवं प्रकार | अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **श्री कपिल जैन (ऋणी)**<br>भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फाइनेंस/पेरोल डिपार्टमेन्ट, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, भेल रानीपुर, हरिद्वार–249403 | 28,90,191/– दिनांक 31.08.2020* तक | 22.09.2020 | **23.12.2021 भौतिक** | फ्लैट नं0 1608, 16वॉ तल, टॉवर ए2, जेकेजी पाल्म कोर्ट, प्लाट नं0 घ/1–डी, सेक्टर–16 सी, ग्रेटर नोएडा पश्चिम, उत्तर प्रदेश<br>**क्षेत्रफलः 1185 वर्ग फुट/ 110.13 वर्ग मी0** |
| 2 | **श्री गोविन्द राम (ऋणी)**<br>**श्रीमती सविता कोहली (सह–ऋणी)**<br>मकान नं0 बी–3, खुशी विलास, प्लाट खेत नं0 113/2 मिन पर, गुरूकृपा, खाता नं0 38, ग्राम भूरा रानी, परगना रूद्रपुर, तहसील रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर | 23,12,846/– दिनांक 30.09.2019* तक | 29.10.2019 | **24.12.2021 भौतिक** | मकान नं0 बी–3, खुशी विलास, प्लाट खेत नं0 113/2 मिन पर, गुरूकृपा, खाता नं0 38, ग्राम भूरारानी, परगना रूद्रपुर, तहसील रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर,<br>**क्षेत्रफलः 967.96 वर्ग फुट/ 89.96 वर्ग मी0**<br>**चौहद्दीः पू:** प्लाट नं0 ए–38, 39, **प:** रास्ता,<br>**उ:** प्लाट नं0 बी–4, **द:** प्लाट नं0 बी–2 |

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रांसगिक व्यय,लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो।

हालांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतद्द्वारा विशेषतः कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बनधक के अधीन होगा।

कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति/यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त ऋणी/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि पंचनामा की तैयार प्रतियां और सूची उपलब्ध हैं, जिसे सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतिलपि प्राप्त कर सकते हैं।

**दिनांकः 31.12.2021** **हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए**
**स्थान : देहरादून** **(प्रा0 अधिकारी)**

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी लि0, रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020
CIN : L70100MH1977PLC019916 वेबसाइट : **www.hdfc.com**

---

kotak

## कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

कार्पोरेट पहचान सं. : **L65110MH1985PLC038137 www.kotak.com**
पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई-400 051. शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008

### अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित नियम ८(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।**

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) तथा/अथवा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (''प्रतिभूत लेनदार'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिस पर प्रतिभूत लेनदार अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, कर्जदार/रों नामतः मैसर्स शिव शंकर एण्ड कं. ग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) तथा 1. श्री शिव शंकर बंसल, 2. श्री गौरी शंकर बंसल, 3. श्रीमती नीलम बंसल, 4. मैसर्स एच.जी. एग्रो फूड्स प्रा.लि. (जमानती तथा/अथवा बंधककर्ता) से प्रतिभूत लेनदार होने के नाते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के 31.10.2017 तक बकाया रु. 30,93,08,393/- (रुपये तीस करोड़ तिरानबे लाख आठ हजार तीन सौ तिरानबे मात्र) तथा भुगतान/वसूली की तिथि तक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर अनुबन्धात्मक ब्याज पर उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु ई–नीलामी के माध्यम से''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर दिनांक 24 जनवरी, 2022 को बिक्री की जायेगी। नीलामी हेतु रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा नीलामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

| क्र. सं. | बंधककर्ता/ओं के नाम | ई–नीलामी पर रखी अचल/चल सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य (रु.)/जमा धरोहर राशि |
|---|---|---|---|
| I | **श्री शिव शंकर बंसल तथा श्री गौरी शंकर बंसल** | छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण प्रथम तल तथा द्वितीय तलआवासीय सम्पत्ति सं. 23, ब्लॉक–ए का भाग निर्मित करने वाला भवन, कुल भूमि माप 300 वर्ग गज, कथित भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, अशोक विहार, फेज–1, दिल्ली–110092 में स्थित तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति की सीमाएं : उत्तर : 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : सर्विस लेन, पूर्व : प्लॉट सं. 22, पश्चिम : प्लॉट सं. 24 | रु. 7,10,87,000/– **(रुपये सात करोड़ दस लाख सत्तासी हजार मात्र)**<br>रु. 71,08,700/– **(रुपये इकहत्तर लाख आठ हजार सात सौ मात्र)** |

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विशेषाधिकार तथा सम्भावित क्रेताओं से पूर्व में प्राप्त निवेदन पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उपर्युक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था 10 जनवरी, 2022 को 3:00 बजे अप. से 04:30 बजे अप. तक की जायेगी।

**महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:–**

1. ई–नीलामी केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net पर 24 जनवरी, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित संचालित की जायेगी।
2. ई–नीलामी के विवरण हेतु इच्छुक संविदाकार सम्पर्क करें : मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–क्क सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति राम शर्मा–06351896834, ई–मेल : delhi@auctiontiger.net,ramprasad@auctiontiger.net, हेल्पलाइन नं. 079–61200595/520/548. हेल्पलाइन ई–मेल : support@auctiontiger.net.
3. इच्छुक संविदाकार नीलामी विवरण तथा बिक्री के नियम एवं शर्तों हेतु बैंक की वेबसाइट : https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकारों को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है तथा कथित नियम एवं शर्तें संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले संविदाकारों के लिए बाध्यकारी होंगी।
5. यह निवेदन है कि इच्छुक संविदाकारों को संविदा तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net से लॉगिन आईडी सृजित करना अनिवार्य है।
6. संविदाएँ 21 जनवरी, 2022 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर संविदाकार/रों के केवाईसी दस्तावेजों सहित केवल निर्धारित प्रारूप में जमा/अपलोड की जानी है तथा स्कैन किए हुए विधिवत भरे हुए एवं हस्ताक्षरित संविदा दस्तावेज एवं संविदाकार/रों की केवाईसी मेल द्वारा Viswanadham.akondi@kotak.com तथा Vikram.sharma@kotak.com पर भेजी जानी हैं। संविदाकार ई–मेल के विषय खण्ड में ''मैसर्स शिव शंकर एण्ड कम्पनी ग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में सम्पत्ति की खरीद हेतु'' लिखेंगे।
7. सम्भावित संविदाकार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने तथा ऑनलाइन संविदा प्रक्रिया आदि के लिए मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
8. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 21 जनवरी, 2022 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी राशि जमा किये बिना कोई संविदा स्वतः ही अस्वीकृत हो जायेगी। प्रस्तावित संविदाकार द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
9. जमा की गयी संविदा राशि आरक्षित मूल्य के बराबर/या अधिक होगी और संविदा प्रक्रिया के दौरान जिन्होंने संविदाएँ जमा कर दी हैं वे रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे।
10. यदि संविदा ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही तुरन्त अगले 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा।
11. सफल संविदाकार को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद ई–नीलामी की तिथि पर कार्यालयी घण्टे बन्द होने पर अगले कार्यकारी दिवस पर उपर्युक्त माध्यम से उच्चतम बोली राशि (पहले से प्रदत्त ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा। उच्चतम संविदा राशि का शेष 75% सफल संविदाकार को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि प्रदान करने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक द्वारा ऐसे विस्तारित अवधि तक जो सरफाएशी अधिनियम, 20 02 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर हो, जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री कार्यवाही के भुगतान की समय–सीमा नहीं बढ़ाई जायेगी और सफल संविदाकार को किसी भी कारणवश निर्धारित समय–सीमा में भुगतान करने में असफल होने पर किसी दैवीय आपदा का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
12. उच्चतम बोलीदाता को अपने पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र निर्गत होने तक सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा जो सम्पूर्ण नीलामी राशि एवं अन्य आकस्मिक व्ययों की वसूली के अध्यधीन होगा। बिक्री उस प्रभाव तक ई–नीलामी की शर्तों एवं नियमों तथा प्रतिभूत लेनदार की पुष्टि के अध्यधीन होगी।
13. यदि सफल संविदाकार सम्पूर्ण संविदा/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता संविदाकार का न तो सम्पत्ति और न ही जमा की गयी राशि पर कोई दावा होगा। अधिकृत प्राधिकारी को नीलामी की सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के नियमएवं शर्तों के तहत उसे उपलब्ध एक या एक से अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता है।
14. उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर अधिकृत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे, इसके पश्चात बिक्री पूरी हो जायेगी और कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जायेगा जिस नाम से संविदा जमा की गयी है। संविदा में उल्लिखित व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम बिक्री प्रमाणपत्र में समाविष्ट/प्रतिस्थापित करने हेतु कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. असफल संविदाकार/रों की ईएमडी राशि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में बिना किसी ब्याज के 10 (दस) दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी।
17. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी संविदा का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। संविदा जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की स्थिति में, संविदाकारों द्वारा जमा की गयी ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी और संविदा अस्वीकार करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी किसी भी संविदाकार या अन्य पक्षों से निजी संधि द्वारा सम्पत्ति की बिक्री हेतु मोल–भाव कर सकते हैं।
18. यदि नीलामी के तहत कोई संविदाकार 1 से अधिक सम्पत्ति की बोली लगाने का इच्छुक है तो संविदाकार को उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करके प्रत्येक सम्पत्ति हेतु अलग से संविदाएँ जमा करनी होंगी।
19. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के सर्वोत्तम जानकारी पर कहे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
20. माननीय डीआरटी–1, दिल्ली के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) सं. 2019 का 126 की लम्बिता को छोड़कर बैंक के संज्ञान में कोई अन्य ऋणभार नहीं है। इच्छुक संविदाकारों को स्थानीय प्राधिकरणों के बकायों जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली तथा पानी के प्रभार एवं अन्य बकाये या कर सहित अन्तरण प्रभार/शुल्क के सम्बन्ध में स्वतन्त्र पूछताछ कर लेने का परामर्श दिया जाता है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, लिएन, ऋण भार अथवा सरकार या किसी अन्य के बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सम्पत्ति के दायित्व, एरियर, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के ऋण भार से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है।
21. पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी विधिक बकाये/अन्य बकाये क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
22. वर्तमान सूचना के तहत नीलामी–सह–बिक्री पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण प्रभार/शुल्क सहित सभी बाह्य प्रभार जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली एवं पानी के प्रभार तथा अन्य बकाये केवल सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
23. सभी अन्य आकस्मिक प्रभार (वर्तमान नीलामी के तहत सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रतिभूत प्रभार अथवा रखरखाव प्रभार सहित किन्तु सीमित नहीं) बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एकमात्र उच्चतम संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे, जिसे बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से पूर्व बैंक को निस्तारित/प्रतिपूर्तित करना होगा। हालाँकि अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक से भविष्य में बिना किसी अनुगामी समायोजन के तर्कपूर्ण एवं उपयुक्त विलम्ब में छूट दी जा सकती है।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार यदि बिक्री वसूली रु. 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) या इससे अधिक की है तो इस पर टीडीएस प्रयोज्य होगा। सफल संविदाकार/क्रेता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में बिक्री मूल्य से प्रयोज्य टीडीएस घटायेगा और इसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पास टीडीएस जमा करने के प्रमाण का चालन तथा प्रपत्र 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा।
25. सम्पत्ति की बिक्रीइसमें उल्लिखित के अनुसार नियम एवं शर्तों पर''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी को नियम एवं शर्तों में किसी को भी परिवर्तित करने का पूर्ण विशेषाधिकार होगा। संविदाकारों को सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी ऋणभार, उपरजिस्ट्रार कार्यालय तथा राजस्व रिकार्ड एवं निगम रिकार्ड तथा अन्य प्रशासनिक सरकारी रिकार्ड की खोजबीन करने की सलाह दी जाती है और वे संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति की प्रकृति तथा विवरण, दशा, किसी ऋणभार, लिएन, प्रभार, विधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। कृपया ध्यान दें कि नीलामी के तहत सम्पत्ति/यों/आस्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के सम्बन्ध में बैंक/अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार कोई गारंटी या कोई प्रतिनिधान नहीं देते हैं। बिक्री/नीलामी दृढ़ता से एवं उपचार रहित आधार पर होगी।
26. बैंक द्वारा समस्त लागतों, प्रभारों तथा उन पर या उसके अंश पर जो बैंक को स्वीकार्य हो, किये गये व्ययों सहित बकाये विक्रय हेतु निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व किसी भी समय कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा/उनकी ओर से अदा कर दी जाती है तो आस्ति की नीलामी/बिक्री निरस्त की जा सकती है। अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए यदि अस्वीकार्य प्रतीत हो तो किसी संविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार्य होने पर समस्त संविदाओं को अस्वीकार करने, विलम्बित/निरस्त/स्थगित/अनिरन्तर करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।
27. यह माना जायेगा कि संविदाकार ने विक्रय के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह कथित नियमों एवं शर्तों से बाध्य है।
28. संविदाकारों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉवर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बैंक इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर अथवा तकनीकी कारणों या ई–नीलामी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
29. कोटक महिन्द्रा बैंक अथवा इसके कर्मचारी विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति से किसी दावे हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।
30. यह सूचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.kotak.com पर भी अपलोड है और इच्छुक पार्टियाँ इसे देख भी सकती हैं।
31. यदि अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के समाचार–पत्र में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार–पत्र को स्थानीय भाषा के समाचार–पत्र पर वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा, इस प्रकार अस्पष्टता दूर हो जायेगी।
31. अधिक विवरण के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी श्री विश्वनाधम एकोंडी (मोबाइल नं. +91–9667221548) तथा बैंक अधिकारी श्री विनोद बहरानी (मोबाइल नं. +91–9810004107) तथा श्री विपुल दुबे (मोबाइल नं. +91–8377905113) से सम्पर्क कर सकते हैं।

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) तथा 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक विक्रय सूचना**

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज तथा व्ययों सहित देवताओं को पूर्ण भुगतान करने तथा उपर्युक्त बकायों का इस सूचना की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर ''प्रतिभूत आस्ति'' (ऊपर उल्लिखित) की बिक्री उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कर दी जायेगी।

**स्थान : दिल्ली तिथि : 29.12.2021** **अधिकृत प्राधिकारी, कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**